



Neutral Citation No. - 2026:AHC:59466

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6232/2026

विवेक

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : गणेश मणि, राघवेंद्र प्रताप सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

(309 में से 63वां क्रम)

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम यादव और श्री उदय भाटिया, तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री दीपक कुमार सिंह की दलीलें सुनी गईं और दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान, पुलिस स्टेशन - लोनी बॉर्डर, जिला - गाजियाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 499/2025, बीएनएस की धारा 65(1), 333, 351(2), 64(2), 107, 351(3), पोक्सो अधिनियम की धारा 51/6 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)5 के तहत जमानत चाहता है।

4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक ने पीड़ित। के साथ शारीरिक संबंध बनाया और बाद में संबंध जारी रखने से मना कर दिया और ब्लैकमेल करने लगा, जिससे पीड़ित। को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि आवेदक पूर्णतया निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 16 दिनों की देरी से दर्ज की गई है और इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पीड़ित के शव परीक्षण और पोस्टमार्टम जांच के बाद दर्ज की गई थी।

6. अधिवक्ता ने यह भी कहा कि आवेदक पर न तो पीड़ित। को आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई खुला आरोप है और न ही उसने पीड़ित की कोई रकम या गहने हड़पे हैं।

7. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक 24.08.2025 से जेल में है, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

8. दूसरी ओर, एजीए और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने तुरंत थाने में आवेदन दिया था और उसने जांच अधिकारी को एक

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



मेमोरी कार्ड भी दिया था जो अनुपयोगी हो गया था, इस प्रकार, मेमोरी कार्ड में मौजूद डेटा को निकाला नहीं जा सका।

9. सुप्रीम कोर्ट ने *उदे सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य, (2019) 17 SCC 301* में कहा:-

"16. आत्महत्या के लिए उकसाने के कथित मामलों में, आत्महत्या के लिए उकसाने के सीधे या अप्रत्यक्ष काम/कामों का सबूत होना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आत्महत्या के कारण का सवाल, खासकर आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के मामले में, एक पेचीदा सवाल बना हुआ है, जिसमें मानवीय आचरण और प्रतिक्रियाओं/प्रतिरोध के कई पहलू और जटिल गुण शामिल हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के मामले में, न्यायालय आत्महत्या के लिए उकसाने के काम/कामों के पक्के और ठोस सबूत ढूँढ़ेगा। आत्महत्या के मामले में, सिर्फ यह आरोप लगाना कि मरने वाले को किसी दूसरे व्यक्ति ने परेशान किया है, तब तक काफी नहीं होगा जब तक कि आरोपी की तरफ से ऐसा कोई काम न हो जिससे वह व्यक्ति आत्महत्या करने पर मजबूर हो; और ऐसा गलत काम घटना के समय के आस-पास ही होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है या नहीं, यह सिर्फ हर मामले के तथ्य और हालात से ही पता लगाया जा सकता है।

16.1. यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया है; इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या आरोपी आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी है। जैसा कि इस न्यायालय ने ऊपर दिए गए फैसलों में समझाया और दोहराया है, उकसाने का मतलब है किसी काम को करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ाना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना। अगर आत्महत्या करने वाले लोग अति संवेदनशील थे और आरोपी के काम से आम तौर पर

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



वैसी ही स्थिति वाले किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाने की उम्मीद नहीं की जाती है तो आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी मानना सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन, दूसरी ओर, अगर आरोपी अपने कामों और अपने लगातार व्यवहार से ऐसी स्थिति पैदा करता है जिससे मरने वाले को आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता है, तो यह मामला आईपीसी की धारा 306 के तहत आ सकता है। अगर आरोपी पीड़ित के आत्म-सम्मान और आत्म-सम्मान को नुकसान पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जिससे आखिर में पीड़ित आत्महत्या कर लेता है, तो आरोपी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसे मामलों में आरोपी की तरफ से आपराधिक मनःस्थिति के सवाल की जांच आरोपी के असल कामों और कामों के संदर्भ में की जाएगी और अगर काम और काम सिर्फ ऐसे हैं जहां आरोपी का इरादा परेशान करने या गुस्सा दिखाने के अलावा और कुछ नहीं था, तो वह खास मामला आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म से कम हो सकता है। हालांकि, अगर आरोपी मरने वाले को तब तक बातों या कामों से परेशान या परेशान करता रहा जब तक मरने वाला प्रतिक्रिया नहीं करता या उसे उकसाया नहीं जाता, तो वह खास मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का हो सकता है। यह मानवीय आचरण के गहन विश्लेषण का मामला है, इसलिए हर मामले की जांच उसके अपने तथ्यों के आधार पर करने की ज़रूरत है, साथ ही आरोपी और मरने वाले के कामों और सोच पर असर डालने वाले सभी आस-पास के तथ्यों पर भी ध्यान देना होगा।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई दलीलों, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और एफआईआर दर्ज करने में 16 दिनों की अत्यधिक देरी तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं दर्शाया गया है, प्रथम दृष्टया मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने हेतु एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

11. आवेदक **विवेक** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जमानतों के सत्यापन के अधीन, इस शर्त के साथ कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या गवाहों को धमकाएगा नहीं और आवश्यकतानुसार विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

12. किसी भी शर्त के उल्लंघन के परिणामस्वरूप जमानत रद्द हो जाएगी। यहां की टिप्पणियां गुण-दोष के आधार पर मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

23 मार्च 2026

सिद्धान्त

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”